

## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्डुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़,  
आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 06/2022

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुन्डुनू ।

—बनाम—

केसरीसिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत, निवासी टोडरवास, थाना मण्डावा, जिला झुन्डुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 खण्ड (ख)(III)

राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपरिस्थिति :-

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) -----सरकार की ओर से।
2. श्री कुलदीप सिंह (अधिवक्ता)-----गैर सायल की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 27.05.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुन्डुनू ने दिनांक 18.04.2021 को गैर सायल केसरीसिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत, निवासी टोडरवास, थाना मण्डावा, जिला झुन्डुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि केसरीसिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत, निवासी टोडरवास, थाना मण्डावा, जिला झुन्डुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश आदमी है। जो वर्तमान में अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा है। तथा अवैध रूप से सस्ती शराब लाकर मंहगी दर पर बेचता है। इसके द्वारा अवैध शराब का बेचान करने के कारण सरकार को राजस्व की हानि तो होती ही है इसके साथ-साथ ही शराब पीने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जवान उम्र के लड़के जो खुले रूप से लोक लिहाज के कारण शराब का सेवन नहीं करते वो लोग भी गैर सायल के कारण शराब की लत के शिकार हो रहे हैं। साथ ही शराब की लत के कारण पैसों का जुगाड़ करने के लिए चोरी एवं इसी प्रकार के आर्थिक अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं उक्त व्यक्ति ने अपनी आपराधिक गतिविधियों से ग्राम टोडरवास के लोगों को भयभीत व आतंकित कर रखा है, इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 05 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें से चार प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है तथा एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एवं दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

अति. जिला मजिस्ट्रेट  
झुन्डुनू



1. अभियोग संख्या 76/2015 दिनांक 09.09.2015 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधि० थाना मण्डावा झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 52 दिनांक 28.09.2015 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.02.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 1200 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
2. अभियोग संख्या 128/2015 दिनांक 10.12.2015 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधि० थाना मण्डावा झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 88 दिनांक 11.12.2015 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.07.2016 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 600 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
3. अभियोग संख्या 24/2016 दिनांक 17.03.2016 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधि० थाना मण्डावा झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 16 दिनांक 31.03.2016 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.11.2016 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 1000 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
4. अभियोग संख्या 08/2018 दिनांक 24.01.2018 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधि० थाना मण्डावा झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 09 दिनांक 02.02.2018 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.02.2018 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 500 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
5. अभियोग संख्या 85/2020 दिनांक 10.07.2020 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधि० थाना मण्डावा झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 61 दिनांक 29.07.2020 को न्यायालय में पेश किया गया। जो न्यायालय में विचाराधीन है।

इस प्रकार उक्त ललित उर्फ लालड़िया पुत्र राजपाल जाट, निवासी ढाणी भालोट, पुलिस थाना पचेरी जिला झुंझुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (III) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल केसरीसिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत, को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 24.05.2022 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा अपने

जाय  
अति-जिला मजिस्ट्रेट  
झुंझुनू

अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया जाने पर बहस अन्तिम सुनी गई।


दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर केसरीसिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत, निवासी टोडरवास, थाना मण्डावा, झुंझुनू में 5 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा चार प्रकरणों में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है। तथा एक प्रकरण विचाराधीन है। इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि० 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (III) में अंकित धारा के अधीन 4 बार दोषसिद्ध होने तथा एक प्रकरण विचाराधीन होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक केसरीसिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत, निवासी टोडरवास, थाना मण्डावा, झुंझुनू के खिलाफ पुलिस थाना मण्डावा, झुंझुनू में 5 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा जिनमें से चार प्रकरणों में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है तथा एक प्रकरण विचाराधीन है। गैर सायल केसरीसिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत, राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 5 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नहीं है तथा राज० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (II) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल केसरीसिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत, निवासी टोडरवास, थाना मण्डावा, जिला झुंझुनू को झुंझुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः गैरसायल केसरीसिंह पुत्र डूंगरसिंह राजपूत, निवासी टोडरवास, थाना मण्डावा, जिला झुंझुनू, को राज० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 1 माह की अवधि के लिए झुंझुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना फतेहपुर, जिला सीकर निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा तथा गैर सायल केसरीसिंह

आति. जिला मजिस्ट्रेट  
झुंझुनू

पुत्र डूंगरसिंह राजपूत, निवासी टोडरवास, थाना मण्डावा, उक्त 1 माह की निष्कासित अवधि में जहाँ भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना फतेहपुर, जिला सीकर को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना मण्डावा को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावा झुंझुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 27.05.2022 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुंझुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाकर दाखिल दफ्तर हो।



(जगदीश प्रसाद मजिस्ट्रेट)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 27.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद मजिस्ट्रेट)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
झुंझुनू